

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता सह निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ०३.०४.२०२०

विषय :— वित्तीय वर्ष 2020-21 के मांग संख्या— 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700—मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-01— मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-01—तेनुघाट बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2700—मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2700—मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई—वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन / 01—तेनुघाट बाँध परियोजना	383.850

कुल आवंटित राशि — रुपये तीन करोड़ तेरासी लाख पचासी हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध ₹ 589.660 लाख (पाँच करोड़ नवासी लाख छियासठ हजार मात्र) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि.) दि 16.06.15 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
6. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. वित विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं विकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
9. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम रूप से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
10. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापण कर दिया जाय। यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
12. विहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से करते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 04

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पौ. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/हजारीबाग/बोकारो/तेनुघाट सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु. :- यथोक्त


(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 04

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग /उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, रांची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/संचियकी पदाधिकारी, ज० सं०वि०/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव


(अमिताभ कौशल)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

I 20/6/2014

मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

पत्रांक.०४ दिनांक.०३.०४.२०२० का अनुलग्नक

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-01-तेजुधाट बौद्ध परियोजना

वित्तीय वर्ष 2020-2021	विस्तृत शीर्ष-01-बेतन एवं भर्ते	विस्तृत शीर्ष-02-	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक याय	विस्तृत शीर्ष-04-	विस्तृत शीर्ष-07-	राशि लाख रुपये में		
क्र० सं०	बेतन	15.11.2000 के एवं दोपहर 03:00 पूर्व का बकाया बेतनादि	दोपहर यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूसाथ वर्दी	विद्युत याय इंधन एवं मरम्मति	मोटरसाइकिल विधि प्रमार	कुल योग अग्रिमिति
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10 11 12 13 14
1	तेजुधाट बाँध अंचल, तेजुधाट	72.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.050	0.000 0.400 0.000 73.050
2	तेजुधाट बाँध प्रमंडल, तेजुधाट	310.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.000 0.300 0.000 310.800
	कुल आवंटन	382.000	0.000	0.000	0.500	0.550	0.100	0.000 0.700 0.000 383.850

कुल आवंटित राशि-

रुपये तीन करोड़ तेरासी लाख पचासी हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभियंत्रण)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अभिताभ कौशल)
सचिव

ताम् कौशल
सचिव